

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

मदनलाल

बनाम

महावीर

किस्म मुकदमा

225RTA

मु. नं०

01

वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र
13-1-21	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आगामी तारीख पेशी तक उभय पक्षों को विवादित भूमि खसरा नम्बर <u>58, 62/823</u> <u>वाकेगांव वीरलानी, तहसील आंतारा मण्ड</u> की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है। रेस्पोंडेंट के नोटिस जारी हो तहत की पत्रावली तलब हो। वास्ते तलबी दिनांक <u>19-2-21</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">AOG</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>
19-2-21	<p>पत्रावली पेश, वकील अपीलांट को <u>वाकेगांव वीरलानी, तहसील आंतारा मण्ड</u> दिनांक 31-3-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">AOG</p>
19-3-21	<p>वकील अपीलांट ने <u>वाकेगांव वीरलानी, तहसील आंतारा मण्ड</u> पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे मजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजल शुमार होकर नम्बर से कम लेकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">AOG</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>



76-95 नोटिस
15-1-21
100 नोटिस
15-1-21

Not Press

MAM
पदेन राजस्व अधिकारी
19/3/21